संख्याः 2107/XVII(4)/2017-5(126)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 7 नवम्बर, 2017

विषयः– मिशन कुपोषण मुक्त भारत–2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2262/हाई0ब0हरि0/2474/2016–17 दिनांक 18.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के D.O.No-11/7/2017-CD.I दिनांक 25.10.2017 के अनुक्रम में **मिशन कुपोषण मुक्त भारत–2022** के अन्तर्गत समिति गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुपोषित बच्चों की संख्या को कम करने, अल्प पोषण की समस्या को हल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता के लिए निरन्तर प्रयास किये जाने व जनसमुदाय से तालमेल व अभिसरण स्थापित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत कुपोषण को कम करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पेयजल विभाग, समाज कल्याण विभाग,पंचायती राज, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग के तहत निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

1. **राज्य स्तरीय समिति**

1. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा	सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/ग्राम्य विकास	सदस्य
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5. सचिव, पेयजल/स्वजल	सदस्य
6. सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति	सदस्य
7. निदेशक, आई0सी0डी0एस0	सदस्य सचिव

2. **जनपद स्तरीय समिति**

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
6. परियोजना निदेशक, पेयजल/स्वजल	सदस्य

7. जिला पूर्ति अधिकारी — सदस्य
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी — सदस्य सचिव
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी — सदस्य

3. उक्त राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समिति वर्तमान में जनपद हरिद्वार के लिए **मिशन कुपोषण मुक्त भारत–2022** के अन्तर्गत गठित की जाती है, परन्तु कुपोषण को कम करने के उददेश्य से/समस्त जनपदों को कुपोषण मुक्त किये जाने हेतु उक्त समिति प्रत्येक जनपद में भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए गठित की जाती है।

4. भारत सरकार द्वारा मिशन कुपोषण मुक्त भारत–2022 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति प्रत्येक वर्ष की 10 जनवरी, 10 अप्रैल, 10 जुलाई एवं 10 अक्टूबर को समिति की बैठकों की समय सारिणी निर्धारित की गयी है जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा कुपोषण को रोके जाने हेतु जनपद में लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी, जिसमें विशेषकर आंगनबाड़ी सेवा अम्ब्रेला (ICDS) योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (NHM) एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष असर हो रहा है या नही।

5. जिला स्तरीय समिति द्वारा कुपोषण को रोके जाने हेतु जनपद में अनुश्रवण एवं समीक्षा कर प्रगति आख्या से राज्य स्तरीय समिति को अवगत कराया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 2107 (1) /XVII(4)/2017-5(126)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पेयजल/स्वजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. परियोजना निदेशक, पेयजल/स्वजल विभाग, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव